



Date: May 28, 2026

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400001
Scrip Code: 534809

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400051
Symbol: PCJEWELLER

Sub.: Newspaper Publications

Dear Sir / Ma'am,

Please find enclosed herewith the publications made by the Company on March 28, 2026 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) newspapers regarding audited financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2026.

Kindly take the same on record.

Yours sincerely,

For PC Jeweller Limited

(VISHAN DEO)
Executive Director (Finance) & CFO
DIN: 07634994

Encl.: As above

PC Jeweller Limited

Regd. Office : 2713, 3rd Floor, Bank Street, Karol Bagh, New Delhi-110005 Ph. : 011 - 49714971

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

निजी संपत्ति पर लागू नहीं होता ज्येष्ठाधिकार नियम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 27 मई।

उच्चतम न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि किसी नाममात्र के शासक की निजी संपत्ति उसके वारिसों में हिंदू या मुस्लिम पारिवारिक कानून के अनुसार बंटी चाहिए और ज्येष्ठाधिकार की पुरानी परंपरा लागू नहीं होनी चाहिए, जिसमें परिवार का सबसे बड़ा बेटा या पुरुष वंशज सारी संपत्ति का अकेला मालिक बन जाता है।

न्यायमूर्ति पंजक मित्रल और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने कहा कि ज्येष्ठाधिकार का नियम

प्रतीकात्मक गद्दी और उपाधियों पर लागू हो सकता है, लेकिन यह उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें रियासतों के विलय के दौरान निजी संपत्ति घोषित किया गया था।

उच्चतम न्यायालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कपूरथला के नाममात्र के महाराजा ब्रिगेडियर सुखजीत सिंह का उनकी अलग रह रही पत्नी गीता देवी व बच्चों से जारी दीवानी वाद पर सुनवाई कर रहा था। सिंह का दावा है कि सबसे बड़े पुरुष वंशज होने के नाते वह परिवार की सभी संपत्तियों के एकमात्र मालिक हैं।



कपूरथला महाराजा संपत्ति विवाद मामला।

आकाशवाणी 17-18, इंदरवदन भवन, नई दिल्ली, काजानपुर, दिल्ली-110033, फोन: 81011-27875916, 27875917, ईमेल: 81011-27875916, ईमेल: hdszsa@bankofbaroda.com

संदर्भ: BOB/TRDAZA/GL/2026-27 दिनांक: 28.05.2026

परिशिष्ट - 7
अखबार में प्रकाशन हेतु नीलाभा विज्ञापन सूचना
नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को सूचना के लिए सूचित किया जाता है कि वे अखबार में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन्हें संबंधित अखबार द्वारा भेजे गए नोटिस बैंक को किंग सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजे गए हैं। इनके अतिरिक्त अखबार और अन्य पत्रों का भुगतान करने और दिनांक 28.05.2026 को वापस करने के लिए सूचित किया जाता है, जिसमें विफल होने पर उक्त प्रतिभूति को बैंक द्वारा जमानत के तहत अग्रिम न्यायालय में अर्पित किया जाएगा।

क्र.सं.	अखबार की तिथि	अखबार का संख्या	अखबार का नाम और पता
1	13.02.2025	21420600010535	सुनील कुमार चौधरी, मकान नंबर 123/5/2, गली नंबर 10, ब्लॉक बी, संत नगर, बुखारी उत्तरी दिल्ली - दिल्ली-110034
2	28.11.2023	21420600010191	सुमन कुमारी, वा. नंबर 156, फुल्ल गली नंबर 6, मुकुंद विहार, ग्राम मुकुंदपुर, फेज - 2, दल्ली-110042

दिनांक: 28-05-2026 शाखा प्रबंधक

बैंक ऑफ बड़ोदा, बी-3, कर्नाट सर्कल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001
संपर्क क्रमांक: 8506055369
ई-मेल आईडी: conau@bankofbaroda.co.in

[परिशिष्ट IVA]
[नियम 8 (6) का पर्युक्त देखें]

अचल संपत्तियों की विज्ञापन सूचना (केवल ई-नीलाभा के माध्यम से)
वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुस्था हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की विज्ञापन सूचना के लिए ई-नीलाभा विज्ञापन सूचना, सुस्था हित (प्रवर्धन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के पर्युक्त के साथ पठें।
आम जनता और विशेष रूप से उद्यमकारों और ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुस्थित लेनदार के पास निजी रखी गई है और जिसका संचालन कर्नाट बैंक ऑफ बड़ोदा, बी-3, कर्नाट सर्कल शाखा, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 07-07-2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) "उपरोक्त है, जहां है", "जहां है" को "है" के आधार पर बेचा जाएगा। ई-नीलाभा का समय 27-05-2026 की तारीख तक 5,91,56,973.98 रुपये (केवल पांच करोड़ इकाने लाख रुपये हजार नौ सौ तिरहतर रुपये और अठाने पैसे) और ब्याज की वसूली के लिए लागू होगा। 28-05-2026 को उधारकर्ता मेसर्स गजाना हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर श्री अमित डियास, पुत्र स्वर्गीय श्री एच. डियास, श्री मोहित आनंद पुत्र आनंद किशोर निगम और श्री शीमा अरुणा डियास पत्नी स्वर्गीय श्री एच. डियास को देय व्यय है।

आरक्षित मूल्य 2,08,00,000 रुपये (दो करोड़ आठ लाख रुपये मात्र) होगा और जमा राशि 20,60,000 रुपये (बीस लाख साठ हजार रुपये मात्र) होगी तथा बेली वृद्धि 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) होगी।
संपत्ति का निरीक्षण 03.07.2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय समय के दौरान अधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर किया जा सकता है।
(आम जनता और विशेष रूप से उद्यमकारों और ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुस्थित लेनदार के पास निजी रखी गई है और जिसका संचालन कर्नाट बैंक ऑफ बड़ोदा, बी-3, कर्नाट सर्कल शाखा, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 को अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को 07-07-2026 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) "उपरोक्त है, जहां है", "जहां है" को "है" के आधार पर बेचा जाएगा। ई-नीलाभा का समय 27-05-2026 की तारीख तक 5,91,56,973.98 रुपये (केवल पांच करोड़ इकाने लाख रुपये हजार नौ सौ तिरहतर रुपये और अठाने पैसे) और ब्याज की वसूली के लिए लागू होगा। 28-05-2026 को उधारकर्ता मेसर्स गजाना हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और गारंटर श्री अमित डियास, पुत्र स्वर्गीय श्री एच. डियास, श्री मोहित आनंद पुत्र आनंद किशोर निगम और श्री शीमा अरुणा डियास पत्नी स्वर्गीय श्री एच. डियास को देय व्यय है।

आवसीय मकान संख्या 18/219, पूर्व 9.30 मीटर, परिधम 9.30 मीटर, उत्तर 19.50 मीटर, दक्षिण 19.50 मीटर, क्षेत्रफल 181.35 वर्ग मीटर, निर्मित क्षेत्रफल 199.814 वर्ग मीटर, जो विद्या पीपल योजना और इंदिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ में स्थित है। संपत्ति की मालिक श्रीमती अरुणा डियास, पत्नी स्वर्गीय श्री एच. डियास और श्री अमित डियास, पुत्र स्वर्गीय श्री एच. डियास (सिस्टर्स गजाना हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त हैं)। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व - सड़क, पश्चिम - मान संख्या 18/287, उत्तर - मान संख्या 18/220, दक्षिण - मान संख्या 18/218। CERSAI परिसंपत्ति पहचान संख्या: 200089042001 (साधा के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार और हमारी जानकारी के अनुसार, उक्त संपत्ति पर कोई अन्य भार नहीं है।)

बैंक के वित्तीय निगम और शाखा के लिए, कृपया बैंक ऑफ बड़ोदा (सुस्थित लेनदार) की वेबसाइट <https://www.bankofbaroda.in/cancellation.htm> और सेवा प्रदाता की वेबसाइट <https://baankn.com> पर दिए गए लिंक देखें। किसी भी प्रश्न/जांचकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी श्री सुधीर कुमार अग्रवाल, मुद्रा प्रबंधक से संपर्क करें। संपर्क नंबर: 8506055369, ईमेल: conau@bankofbaroda.com

दिनांक: 27-05-2026, (सुधीर कुमार अग्रवाल), स्थान: नई दिल्ली, अधिकृत कार्यालय, बैंक ऑफ बड़ोदा

केनरा बैंक Canara Bank
A member of Bank Syndicate

आर्जित वसूली प्रबंधन शाखा
कनोल बाग, नई दिल्ली-110005, फोन: 28751723, 28754731,
ईमेल: cb2365@canarabank.com

कच्चा सूचना [धारा 13 (4)]
(अचल संपत्ति के लिए) बिना किसी पूर्वाह्व के

जिस को वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक, एआरएम शाखा, केनरा बैंक विलिंग, आर्य समाज रोड, कनोल बाग, दिल्ली-110005 के अधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्धन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एक मांग सूचना दिनांक 14.01.2026 जारी कर अध्यादेशों, फर्म/गारंटर/व्यवसायकर्ताओं, मेसर्स सुभाष डेवरी (अध्यक्ष) पता: ग्राम-अलीपुर, उपा तहसील तिगांव, जिला: फरीदाबाद, हरियाणा-121101, अन्य पता: ग्राम महमूदपुर, उपा तहसील तिगांव, जिला: फरीदाबाद, हरियाणा-121106, 2. श्री सुभाष चंद, पुत्र श्री रमाल सिंह (गारंटर) पता: ग्राम-अलीपुर, उपा तहसील तिगांव, जिला: फरीदाबाद, हरियाणा-121101, अन्य पता: ग्राम महमूदपुर, उपा तहसील तिगांव, जिला: फरीदाबाद, हरियाणा-121106, 3. श्री सतीश सिंह कसाना, पुत्र श्री रमाल सिंह कसाना (गारंटर) पता: ग्राम-महमूदपुर, उपा तहसील-तिगांव, जिला: फरीदाबाद, हरियाणा-121106 को उक्त सूचना की प्रतिलिपि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि यानी रु. 75,01,058.57 रुपये पहचान साधा एक हजार अठाने और सत्तार पैसे मात्र) जो कि दिनांक 31.12.2025 तक बकाया है, और इसके बाद देय ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क और खर्चों के भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था।

अध्यापक उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एवम्बारा संपत्ति के मालिक एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 25 मई 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा ले लिया है।
एवम्बारा विशेष रूप से अध्यापक/गारंटर(ओं) एवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन-देन रु. 75,01,058.57 रुपये पहचान साधा एक हजार अठाने और सत्तार पैसे मात्र) जो कि दिनांक 31.12.2025 तक बकाया है, और इसके बाद देय ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क और खर्चों के लिए निर्देश दिया था, और इसके बाद देय ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क और खर्चों के लिए निर्देश दिया था।
अध्यापक का ध्यान सुस्थित आरितियों को धुंधलाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 उप-धारा (8) के प्रावधानों को और आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
1. भूमि और शेड, माप 2 कनाल (यानी 1210 वर्ग गज) और शेड, जो मौजा अलीपुर, उपा तहसील तिगांव, जिला फरीदाबाद (हरियाणा) में स्थित है, और यह खेत नं. 421, खतीन नं. 456, रजेट नं. 6, किला नं. 24/1 का हिस्सा है।
चौहद्द: पूर्व: सरकारी पानी की टंकी पश्चिम: गली उत्तर: सड़क दक्षिण: खुली संपत्ति अधिकृत अधिकारी केना बैंक

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 25.05.2026

देश

नासिक बांध में डूबने से पिकनिक पर गए चार लोगों की मौत

नासिक, 27 मई (भाषा)।

महाराष्ट्र के नासिक जिले में पिकनिक के दौरान एक बांध में डूबने से एक दंपति और दो किशोरों की मौत हो गई। पुलिस ने

बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार शाम को कश्यपी बांध पर हुई। पुलिस के अनुसार, मखमलबाद निवासी सचिन कैलाश थोम्ब्रे (30) और उनकी पत्नी रोहिणी (25) अपनी दो

वर्षीय बेटे और अपने पड़ोस के दो लड़कों, केतन अनिल पवार (16) और कौशल अनिल पवार (14) के साथ जलशय्य गए थे। यह बांध कश्यपी नदी पर बनाया गया है।

LIGHT MICROFINANCE PRIVATE LIMITED

CIN - U67120DL1994PTC216764
Registered office: 308, Aggarwal Tower, Plot no.-2, Sector - 5, Dwarka, New Delhi- 110075
Corporate Office: 1501, 15th Floor, Sankalp Square 3B, Sindhu Bhavan Road, B/s Hotel Taj Skyline, Shilaj, Ahmedabad-380058.
Office/ Fax: +91-79-40050059, Email: info@lightfinance.com, Website: www.lightfinance.com
Audited Consolidated Financial Result for the quarter and year ended March 31, 2026

S. No.	Particulars	Quarter ended		Year ended	
		As at March 2026 (Unaudited)	As at March 2025 (Unaudited)	As at March 2026 (Audited)	As at March 2025 (Audited)
1	Total Income from Operations	8,495.81	10,873.88	34,857.66	48,493.01
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1,925.43)	3,726.13	(14,509.04)	741.06
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(1,925.43)	3,726.13	(14,509.04)	741.06
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	331.05	2,752.92	(10,723.13)	481.52
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,066.01	2,664.87	(9,246.43)	636.73
6	Paid up Equity Share Capital	10,779.68	10,779.68	10,779.68	10,779.68
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,217.37	11,289.23	2,217.37	11,289.23
8	Securities Premium Account	18,575.95	18,575.95	18,575.95	18,575.95
9	Net worth	31,572.99	40,644.86	31,572.99	40,644.86
10	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	1,02,539.72	1,29,435.04	1,02,539.72	1,29,435.04
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	Nil	Nil	Nil	Nil
12	Debt Equity Ratio	3.25	3.18	3.25	3.18
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -	1.32	10.99	(42.81)	1.92
14	Capital Redemption Reserve	0.67	3.72	(42.81)	0.81
15	Debiture Redemption Reserve	Nil	Nil	Nil	Nil
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the statement of Profit and Loss in accordance with Ind AS Rules/ AS Rules, whichever is applicable.

NOTES:
a) The above financial Results were reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their Respective meetings held on 27th May, 2026. The Auditor has expressed an unmodified opinion.
b) Standalone Total Income from operation: Rs. 8,495.84 and Rs. 34,857.66, Net (loss)/profit before tax: Rs. (1,925.43) and Rs. (14,509.04) Net (loss)/profit after tax: Rs. 331.05 and (10,723.13), for the quarter and financial year period respectively.
c) The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Consolidated Audited Financial Results are available on websites of BSE Limited at www.bseindia.com/stock-share-price/and-other and on the company's website www.lightfinance.com/resources
d) For the other line items referred in regulation 52(4) of the amended listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the stock Exchange(s) and can be accessed through the website link given in point (c) above.

Date: 27.05.2026 Place: Ahmedabad For and on behalf of Light Microfinance Private Limited

Deepak Amin (Managing Director)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...बरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं. 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
(ई-मेल: hosd@pnb.bank.in)

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाने वाली बैंक की 25वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एवम्बारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय परिपत्र संख्या 03 / 2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 के साथ पठित संबन्धी (लिटिंग) वायव्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्य करने हेतु शनिवार, 20 जून, 2026 को प्रातः 11:00 बजे को पंजाब नेशनल बैंक के शेयरधारकों की 25वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाएगी।

साधारण कार्य:
• 31 मार्च 2026 को बैंक की लेखापरीक्षित तुल्य पत्र, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखा, तुल्य पत्र और लेखा पर लेखा परीक्षा की रिपोर्टें द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कार्यप्रणाली पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और स्वीकृति हेतु।
• वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बैंक के इन्वेंचरी शेयरों पर अंतिम लामांश घोषित करना।

विशेष कार्य:
• बैंक की महत्वपूर्ण संवर्धित पार्टी के लेन-देन का अनुमोदन करना।
• बैंक के बॉर्ड में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/नामित निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर विचार करना और उन्हें स्वीकृति देना।

टिप्पणियाँ:
1. वित्त वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्टें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम का नोटिस भी शामिल है, केवल उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी गई है जिनके ईमेल पंजीकृत हैं, और जिन शेयरधारकों के ईमेल पते बैंक/निष्पापण सहायता(यों) के पास पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एक पत्र भेजा गया है जिसमें बैंक की वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट का वेब-लिंक और पाथ दिया गया है।

2. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्टें बैंक की वेबसाइट अर्थात् <https://pnb.bank.in/annual-reports.html> और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

3. शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं और/एसी सहभागिता को कोर को गणना के उद्देश्य हेतु गिनती की जाएगी। (शामिल होने के निदेश नोटिस में विस्तार से दिए गए हैं।)

4. कोई भी व्यक्ति किसी निर्धारित निकाय के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और/या ई-वोट डालने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की प्रमाणीत सत्य प्रतिलिपि शेयर विभागा, पंजाब नेशनल बैंक, परिचय पत्र, पंचवा तल, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075 में जमा नहीं कर दी जाती है या evoting@nsdl.com और hosd@pnb.bank.in को प्रति मार्क करते हुए ई-मेल द्वारा mail@csraginlchokshi.com पर जांचकर्ता को नहीं भेजा जाता है। जो बैंक की लिपि से कम से कम तीन दिन पहले अर्थात् मंगलवार, 16 जून, 2026 को समाप्त करने के लिए (सामं 6.00 बजे) या उससे पहले भेजी जानी चाहिए।

5. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹2/- प्रत्येक के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर पर ₹3/- प्रति शेयर के अंतिम लामांश की संस्तुति की है। लामांश वापस के लिए, रिफॉर्ड लिपि शनिवार, 13 जून, 2026 होगी।

6. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, लामांश का भुगतान केवल उन्हीं शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिनके बैंक खाते के विवरण अद्यतित हैं।

7. लामांश सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संबंधित डीपी डिमेंटेरिवाइज्ड शेयरों के लिए और बैंक/बैंक के आरटीए (भौतिक शेयरों के लिए) के पास आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट करें।

8. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को, निर्धारित सेवा प्राप्त करने और अपने बैंक खाते में लामांश जमा होना सुनिश्चित करने के लिए, बैंक के आरटीए को निर्धारित प्रमाणों (बैंक की वेबसाइट के लिंक <https://pnb.bank.in/important-announcement-to-physical-shareholders.html>) पर उपलब्ध है) में उपरोक्त पत्र पत्र, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और अद्यतन नमूना हस्ताक्षर तत्काल उपलब्ध करना आवश्यक है, यदि उन्हीं पहले नहीं किया हो तो, करना आवश्यक है।

9. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 को या बाद में बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लामांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। अतः बैंक को लामांश का भुगतान करते समय, जहाँ भी लागू हो, निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करनी होगी। टीडीएस से संबंधित निर्देशन एजीएम की वित्तीय सूचना में दिए गए हैं। अतः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कर छूट दस्तावेज 13 जून, 2026 को या उससे पहले bestairta@gmail.com पर hosd@pnb.bank.in पर उपलब्ध/जमा करें।

10. आयकर अधिनियम 2025 की धारा 262 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे पैना आवंटित किया गया है और जो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे पैना को आधार से जोड़ना आवश्यक होगा। इसका अनुपालन करने में विफल रहने पर, पैना को अमान्य माना जाएगा तथा आयकर अधिनियम 2025 की धारा 397(2) के प्रावधानों के अंतर्गत 20% की दर से कर कटौती की जाएगी। इस संबंध में बैंक आयकर विभागा द्वारा प्रदान की गई कार्यसूची का उपयोग करें।

11. एम्प्लॉय परिवर्तनों के साथ पठित संबन्धी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, यथासंशोधित, के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक एम्प्लॉयमेंट ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधनों (एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने शेयरधारकों को मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करें। एजीएम की सूचना की एक प्रति एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध की जाएगी।

12. रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 17 जून, 2026 को प्रातः 09:00 बजे (आईएसटी) से आरंभ होकर शुरुवार, 19 जून, 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) तक होगी। इस तिथि और समय के पर्याप्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. बैंक ने रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र शेयरधारकों के मतदान अधिकारों का निर्धारण करने के लिए शनिवार, 13 जून, 2026 को कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम नोटिस जारी होने के बाद बैंक के शेयर खरीदता है और कट-ऑफ तिथि को शेयरधारक है, वह ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु एजीएम नोटिस में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरधारक/डिमेंटेरिवाइज्ड के लामांश मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग में भाग लेने का हकदार होगा।

14. बैंककारी कंपनी (उपकरणों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतधिकार के 10% से अधिक उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में मतधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो रजिस्टर में सबसे पहले नामित व्यक्ति को, जहाँ तक मतदान का संबंध है, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा।

15. कोई शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना ई-वोट डालने के बाद भी एजीएम में भाग ले सकता है, लेकिन ऐसे शेयरधारकों को एजीएम में पुनः ई-वोट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो शेयरधारक अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं करता है, वह एजीएम के दौरान अपना ई-वोट डालने का हकदार होगा।

16. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के आरटीए को bestairta@gmail.com पर ईमेल करके अपना ईमेल आईडी पंजीकृत कराएँ, वही, जिन शेयरधारकों के शेयर डीमोट रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इस काम के लिए जल्द-से-जल्द अपने निष्पापण सहायता में भाग ले सकें।

17. जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके ई-मेल आईडी बैंक/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में दिए गए विवरण के अनुसार ई-वोट डालने की प्रक्रिया का पालन करें।

18. एजीएम/ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, कृपया सुधी पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक से evoting@nsdl.com या टेलीफोन नंबर: 022-48867000 पर संपर्क करें।